तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17.1.2017	यह रैफरेंस पत्रावली मण्डल के निर्णय दिनांक 4.8.2017 की प्रति के साथ प्राप्त हुई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अवलोकन किया गया । निर्णयानुसार रैफरेंस अस्वीकार किया गया है एवं निर्देशित किया गया है कि वर्ष 1947 का रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कब ? कौनसे ? आदेश, निर्णय या कार्यवाही में अनियमितता हुई है ? जिसके संबध में निरस्त कराने हेतु रैफरेंस पेश करना आवश्यक हुआ ? इस प्रकरण में इस प्रकार की भी कोई स्थिति नहीं है। इसलिऐ यह रैफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपूर्ण होने से अस्वीकार किया गया है एवं निर्देश दिये है कि पुनः जांच कर दिनांक 15.8.1947 से संबधित राजस्व अभिलेख को अभिलेख पर लेकर यदि प्रकरण बाद जांच रैफरेंस योग्य पाया जावे तो ही पुनः मण्डल के लिये प्रेषित किया जावे। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 4.8.2017 के अनुसार इस प्रकरण में रिकार्ड (15.8.1947 से संबधित) के अभाव पाये जाने एवं रैफरेंस प्रस्तुत किये जाने की मंशा की पूर्ति न किये जाने के कारण रैफरेंस अपूर्ण होने की स्थिति में अस्वीकार किया गया है। अतः भूमिधारी तहसीलदार रूपवास को मण्डल के निर्णय दिनांक 4.8.2017 की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि मण्डल के निर्णय की अक्षरशः पालना करते हुये यदि बाद जांच/बाद वांछित रिकार्ड पूर्ति यह प्रकरण रैफरेंस योग्य पाया जाता है तो पुनः नये सिरे से पेश करने की स्वतन्त्रता के साथ यह पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। आज्ञा सुनाई गई। **अतिरिक्त जिला कलक्टर** **भरतपुर**	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official